



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 522]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 25, 2009/चैत्र 4, 1931

No. 522]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 25, 2009/CHAITRA 4, 1931

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 मार्च, 2009

(आय-कर)

का.आ. 858(अ).—केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (आठवीं संशोधन) नियम, 2009 है।

(2) ये 1 अप्रैल, 2009 को प्रवृत्त होंगे।

2. आय-कर नियम, 1962 में,—

(क) नियम 30, नियम 31, नियम 31क और नियम 31कक के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखे जाएंगे, अर्थात् :—

“स्रोत पर कट्टा गया कर या अध्याय 17ख के अधीन संदत्त कर को सरकारी खाते में जमा करने का समय और ढंग

30. (1) अध्याय 17ख के उपबंधों के अनुसार काटी गई सभी रकम केंद्रीय सरकार के खाते में निम्नलिखित समय के भीतर जमा की जाएंगी —

(क) उस मास की समाप्ति से दो मास के भीतर जिसमें रकम भुगतानकर्ता द्वारा पाने वाले के खाते में जमा की जाती है, यदि जमा उस तारीख तक का है, जिसको भुगतानकर्ता का हिसाब बनाया गया है ; और

(ख) किसी अन्य दशा में, उस मास की समाप्ति से एक सप्ताह के भीतर, जिसमें,—

(i) कटौती की गई है; या

(ii) आय-कर धारा 192 की उप-धारा (1क) के अधीन शोध्य है।

(2) उप-नियम (1) में किसी बात के होते हुए भी, निर्धारण अधिकारी विशेष मामलों में निम्नलिखित अनुज्ञात कर सकेगा,—

(क) 15 जून, 15 सितम्बर, 15 दिसम्बर और 25 मार्च को रकम का तिमाही भुगतान, यदि रकम की कटौती “वेतन” शीर्ष के अधीन प्रभार्य किसी आय से की जाती है ;

(ख) 15 जुलाई, 15 अक्टूबर, 15 जनवरी और 15 अप्रैल को रकम का तिमाही भुगतान यदि रकम की कटौती,

(i) प्रतिभूतियों पर ब्याज के अलावा ब्याज ;

(ii) बीमा कमीशन ; या

(iii) धारा 194ज में निर्दिष्ट कमीशन या दलाली,

के रूप में किसी आय से की जाती है।

(3) उपनियम (2) के अधीन कोई अनुज्ञा संयुक्त आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं दी जाएगी।

(4) अध्याय 17ख के अधीन कटौती या कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति उपनियम (1) या उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर,—

(क) प्ररूप सं० 17 में आय-कर चालान इलेक्ट्रानिक रूप में प्रस्तुत करेगा ; और

(ख) इस प्रकार काटी गई रकम का भुगतान इलेक्ट्रानिक रूप से भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक या किसी प्राधिकृत बैंक में इसे भेज कर केंद्रीय सरकार के खाते में करेगा।

(5) इस नियम के प्रयोजनों के लिए, रकम को भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय स्टेट बैंक या किसी प्राधिकृत बैंक में इलेक्ट्रानिक रूप से भेजा गया समझा जाएगा, यदि रकम,—

(क) भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय स्टेट बैंक या किसी प्राधिकृत बैंक की इंटरनेट बैंकिंग सुविधा द्वारा भेजी गई है; या

(ख) क्रेडिट या डेबिट कार्ड द्वारा भेजी गई है।

स्रोत पर काटे गए कर या धारा 192 की उपधारा (1क) के अधीन संदत्त कर का प्रमाणपत्र

31. (1) धारा 203 के अधीन स्रोत पर कर की कटौती का प्रमाणपत्र या कर्मचारी की ओर से नियोजक द्वारा कर के संदाय का प्रमाणपत्र,—

(क) प्ररूप सं० 16 में होगा, यदि कटौती या कर का भुगतान धारा 192 के अधीन किया गया है ;

(ख) प्ररूप सं० 16क में होगा, यदि कटौती अध्याय 17ख के किसी अन्य उपबंध के अधीन की गई है।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्रमाणपत्र कटौतीधारी को,—

(क) उस तारीख के पश्चात् एक सप्ताह के भीतर, जिसको स्रोत पर काटे गए कर की रकम केंद्रीय सरकार के खाते में जमा की गई है, दिया जाएगा, यदि संदाय, जिसकी बाबत कर इस प्रकार काटा गया कर, उस तारीख को जमा के रूप में है, जिस तक कटौतीकर्ता का हिसाब बनाया गया है ;

(ख) उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से एक मास के भीतर, दिया जाएगा जिसमें भुगतान कटौतीधारी को किया गया है, यदि,—

(i) कर की कटौती धारा 192 की उपधारा (1) के अधीन की गई है ;

(ii) प्रमाणपत्र धारा 192 की उपधारा (1क) के अधीन कर्मचारी की ओर से नियोजक द्वारा कर के संदाय के संबंध में है ;

(iii) कर की कटौती धारा 194घ के अधीन की गई है ; या

(iv) किसी वित्तीय वर्ष के दौरान की गई आय-कर की कटौतियों के लिए कटौतीधारी को एक से अधिक प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए जाने की अपेक्षा है और कटौतीधारी ने ऐसी कटौतियों की बाबत समेकित प्रमाणपत्र जारी करने का अनुरोध किया है ;

(ग) आय-कर के भुगतान की तारीख से चौदह दिन के भीतर दिया जाएगा, यदि भुगतान नियम 30 के उपनियम (2) के अधीन तिमाही रूप से किया गया है ;

(घ) सभी अन्य मामलों में उस मास की समाप्ति से एक मास के भीतर दिया जाएगा, जिसमें स्रोत पर कर की कटौती की गई है ।

(3) कटौतीकर्ता, यथास्थिति, प्ररूप सं० 16 या प्ररूप सं० 16क में डुप्लीकेट प्रमाणपत्र जारी कर सकेगा, यदि कटौतीधारी ने इस प्रकार जारी मूल प्रमाणपत्र खो दिया है और वह डुप्लीकेट प्रमाणपत्र जारी करने का अनुरोध करता है और ऐसा डुप्लीकेट प्रमाणपत्र कटौतीकर्ता द्वारा डुप्लीकेट के रूप में प्रमाणित किया जाता है ।

(4) निर्धारण अधिकारी उपनियम (3) में निर्दिष्ट डुप्लीकेट प्रमाणपत्र के आधार पर स्रोत पर काटे गए कर के लिए क्रेडिट देने के पहले,—

(क) कटौतीधारी से क्षतिपूर्ति बंधपत्र प्राप्त करेगा ; और

(ख) मुख्य आयुक्त या आयुक्त द्वारा इस निमित्त अभिहित निर्धारण अधिकारी द्वारा भुगतान प्रमाणित कराएगा ।

कर कटौती या कर संग्रहण की तिमाही विवरणी

31क. (1) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जिसे धारा 203क के अधीन कर कटौती और संग्रहण खाता संख्या आबंटित किया गया है, निम्नलिखित तिमाही विवरणियां परिदत्त करेगा या परिदत्त कराएगा, अर्थात् :—

(क) प्ररूप सं० 24ग में स्रोत पर कर कटौती अनुपालन विवरणी ;

(ख) प्ररूप सं० 24थ में धारा 192 के अधीन कर कटौती की तिमाही विवरणी ;

(ग) धारा 193 से धारा 196घ के अधीन निम्नलिखित में कर कटौती की तिमाही विवरणी,—

(i) कंपनी से भिन्न ऐसे कटौतीधारी की बाबत, जो अनिवासी या निवासी है किंतु साधारणतः निवासी या कटौतीधारी विदेशी कंपनी नहीं है, प्ररूप सं० 27थ में ; और

(ii) अन्य सभी कटौतीधारियों की बाबत प्ररूप 26थ में ; और

(घ) प्ररूप 27डथ में धारा 206ग के अधीन कर संग्रहण की तिमाही विवरणी ।

(2) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जिससे उपधारा (1) के अधीन इसमें निर्दिष्ट विवरणी परिदत्त करने या परिदत्त कराने की अपेक्षा है, ऐसी विवरणी इलेक्ट्रॉनिक रूप से आय-कर महानिदेशक (प्रणाली) या आय-कर महानिदेशक (प्रणाली) द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त करेगा या परिदत्त कराएगा ।

(3) उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्ररूप 24ग में विवरणी वित्तीय वर्ष के प्रथम तीन तिमाहियों की बाबत क्रमशः 15 जुलाई, 15 अक्टूबर, 15 जनवरी को या वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही की पश्चात्पूर्ती 15 जून को या उससे पूर्व परिदत्त करेगा या परिदत्त कराएगा ।

(4) उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्ररूप सं० 24थ, प्ररूप सं० 26थ, प्ररूप सं० 27थ और प्ररूप सं० 27डथ में विवरणी वित्तीय वर्ष की पश्चात्पूर्ती 15 जून को या उसके पूर्व परिदत्त की जाएगी या परिदत्त कराई जाएगी ।”;

(ख) नियम 37क का लोप किया जाएगा ।

(ग) नियम 37गक और नियम 37घ के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखे जाएंगे :—

“अध्याय 17खख के अधीन स्रोत पर काटे गए कर को सरकारी खाते में जमा करने का समय और ढंग

37गक. (1) अध्याय 17खख के उपबंधों के अनुसार संग्रहीत सभी रकम उस मास, जिसमें संग्रहण किया गया है, की समाप्ति से एक सप्ताह के भीतर केंद्रीय सरकार के खाते में जमा की जाएगी।

(2) अध्याय 17खख के अधीन संग्रहण करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति, उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर,—

(क) प्ररूप सं० 17 में आय-कर चालान इलैक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तुत करेगा ; और

(ख) इस प्रकार काटी गई रकम का भुगतान इलैक्ट्रॉनिक रूप से भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक या किसी प्राधिकृत बैंक में इसे भेज कर केंद्रीय सरकार के खाते में करेगा।

(3) इस नियम के प्रयोजनों के लिए, रकम का भुगतान भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय स्टेट बैंक या किसी प्राधिकृत बैंक में इलैक्ट्रॉनिक रूप से भेजा गया समझा जाएगा, यदि रकम,—

(क) भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय स्टेट बैंक या किसी प्राधिकृत बैंक की इंटरनेट बैंकिंग सुविधा द्वारा भेजी गई है; या

(ख) क्रेडिट या डेबिट कार्ड द्वारा भेजी गई है।

स्रोत पर कर के संग्रहण के लिए प्रमाणपत्र

37घ. (1) धारा 206ग की उपधारा (5) के अधीन स्रोत पर कर के संग्रहण का प्रमाणपत्र प्ररूप सं० 27घ में होगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन निर्दिष्ट प्रमाणपत्र उस मास की समाप्ति से एक मास के भीतर कटौतीधारी को दिया जाएगा, जिसमें रकम क्रेता या अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदार के खाते में विकलित की गई या भुगतान, यथास्थिति, क्रेता या अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदार से प्राप्त किया गया है।

(3) स्रोत पर कर के संग्रहण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति, प्ररूप सं० 27घ में डुप्लीकेट प्रमाणपत्र जारी कर सकेगा, यदि क्रेता या अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदार ने इस प्रकार जारी मूल प्रमाणपत्र खो दिया है और वह डुप्लीकेट प्रमाणपत्र जारी करने का अनुरोध करता है और ऐसा डुप्लीकेट प्रमाणपत्र स्रोत पर कर के संग्रहण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा डुप्लीकेट के रूप में प्रमाणित किया जाता है।

(4) निर्धारण अधिकारी, उपनियम (3) में निर्दिष्ट डुप्लीकेट प्रमाणपत्र के आधार पर स्रोत पर संग्रहीत किए गए कर के लिए क्रेडिट देने के पहले,—

(क) क्रेता या अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदार से क्षतिपूर्ति बंधपत्र प्राप्त करेगा ; और

(ख) मुख्य आयुक्त या आयुक्त द्वारा इस निमित्त अभिहित निर्धारण अधिकारी द्वारा भुगतान प्रमाणित कराएगा।

(घ) प्ररूप सं० 16, प्ररूप सं० 16क और प्ररूप सं० 16कक के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप रखे जाएंगे, अर्थात् :—

प्ररूप सं. 16

[नियम 31(1)(क) देखिए]

वेतन के स्रोत पर कटौती किए गए कर के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 203 के अधीन प्रमाण-पत्र				
वित्तीय वर्ष		टीडीएस प्रमाणपत्र संख्या#		
क्या मूल/दूसरी प्रति/संशोधित है	यदि संशोधित है तो पिछला टीडीएस प्रमाण-पत्र संख्या			
कटौतीकर्ता का टैन		कटौतीकर्ता का नाम		
कटौतीधारी का पैन		कटौतीधारी का नाम		
आयकर विभाग द्वारा यथा उपलब्ध कराया गया टीडीएस यूनीक ट्रांजेक्शन नंबर (यूटीएन)	क्या अपलोड किया गया पैन आयकर विभाग द्वारा विधिमाम्य था (हां/नहीं)	संदत्त/संग्रहीत सकल रकम	टीडीएस/टीसीएस रकम	
टीडीएस/टीसीएस की सकल रकम				
कुल टीडीएस रकम जहां आयकर विभाग द्वारा पैन विधिमाम्य पाया गया *				
संदत्त वेतन और किसी अन्य आय और काटे गए कर का ब्यौरा				
1.	सकल वेतन			
	(क)	धारा 17(1) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार वेतन	रु.	
	(ख)	धारा 17(2) के अधीन परिलब्धियों का मूल्य (प्ररूप सं. 12खख के अनुसार जहां लागू हो)	रु.	
	(ग)	धारा 17(3) के अधीन वेतन के बदले लाभ (प्ररूप सं. 12खख के अनुसार जहां लागू हो)	रु.	
	(घ)	कुल		रु.
2.	घटाइए : धारा 10 के अधीन छूट की सीमा तक भत्ते		रु.	
			रु.	
			रु.	रु.
3	अतिशेष (1-2)			रु.
4	कटौतियां :			
	(क)	मानक कटौती	रु.	
	(ख)	मनोरंजन भत्ता	रु.	
	(ग)	नियोजन पर कर	रु.	
5	4(क) से (ग) का योग		रु.	
6.	'वेतन' शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (3-5)			रु.

7.	जोड़े : कर्मचारी द्वारा रिपोर्ट की गई कोई अन्य आय	रु.		
		रु.		
		रु.		रु.
8	सकल कुल आय (6+7)			रु.
9	अध्याय 6क के अधीन कटौतियां			
		सकल रकम	अर्हक रकम	कटौती योग्य रकम
	(क)	रु.	रु.	रु.
	(ख)	रु.	रु.	रु.
	(ग)	रु.	रु.	रु.
	(घ)	रु.	रु.	रु.
10	अध्याय 6 के अधीन कटौती योग्य रकम का योग			रु.
11	कुल आय (8-10)			रु.
12	कुल आय पर कर			रु.
13	अध्याय 8 के अधीन रिबेट और अनुतोष			
	I	धारा 88 के अधीन (कृपया विनिर्दिष्ट करें)		
		सकल रकम	अर्हक रकम	कर रिबेट/ अनुतोष
	(क)	रु.	रु.	
	(ख)	रु.	रु.	
	(ग)	रु.	रु.	
	(घ)	रु.	रु.	
	(ङ)	रु.	रु.	
	(च) योगफल (क से ड. तक)	रु.	रु.	
	II	(क)	धारा 88ख के अधीन	रु.
		(ख)	धारा 88ग के अधीन	रु.
	III	धारा 89 के अधीन (ब्यौरे संलग्न करें)		रु.
14	कर रिबेट का योग और ऊपर 13 [I(च) + II (क) +II(ख)+III] में कर रिबेट और अनुतोष का योग			रु.
15	संदेय कर (12-14) और उस पर अधिभार			रु.
16	घटाएं : स्रोत पर कटौती किया गया कर			रु.
17	संदेय/प्रतिदेय कर (15-16)			रु.

मैं पुत्र/पुत्री जो (पदनाम) की हैसियत में कार्य कर रहा/रही हूँ, यह प्रमाणित करता/करती हूँ कि रुपए [केवल (शब्दों में रुपए)] की राशि की स्रोत पर कटौती की गई है और केंद्रीय सरकार के खाते में संदत्त की गई है। मैं यह और प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपरोक्त दी गई जानकारी लेखा पुस्तिकों, दस्तावेजों और अन्य उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर सही और ठीक है।

स्थान	
तारीख	कर की कटौती के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के हस्ताक्षर
पदनाम	पूरा नाम

टीडीएस प्रमाण-पत्र संख्या आंतरिक संदर्भ संख्या है जो कि कटौतीकर्ता द्वारा किया जाना है (वैकल्पिक)

प्ररूप सं. 16क

[नियम 31(1)(ख) देखिए]

स्रोत पर कटौती किए गए कर के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 203 के अधीन प्रमाण-पत्र			
वित्तीय वर्ष		टीडीएस प्रमाणपत्र संख्या#	
क्या मूल/दूसरी प्रति/संशोधित है	यदि संशोधित है तो पूर्व टीडीएस प्रमाण-पत्र संख्या दें		
कटौतीकर्ता का टैन		कटौतीकर्ता का नाम	
कटौतीधारी का पैन		कटौतीधारी का नाम	
आयकर विभाग द्वारा यथारूप से उपलब्ध कराया गया टीडीएस यूनीक दृष्टिकोण नंबर (यूटीएन)	क्या अपलोड किया गया पैन आयकर विभाग द्वारा विधिमाम्य था (हां/नहीं)	संदर्भ/ सकल रकम	टीडीएस, रकम
टीडीएस की रकम			
कुल टीडीएस रकम जहां आयकर विभाग द्वारा पैन विधिमाम्य पाया गया है			
मैं पुत्र/पुत्री जो (पदनाम) की हैसियत में कार्य कर रहा/रही हूँ, यह प्रमाणित करता/करती हूँ कि रुपए [केवल (शब्दों में रुपए)] की राशि की स्रोत पर कटौती की गई है और केंद्रीय सरकार के खाते में संदर्भ की गई है। मैं यह और प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपरोक्त दी गयी जानकारी लेखा पुस्तकों, दस्तावेजों और अन्य उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर सही और ठीक है।			
स्थान			
तारीख	कर की कटौती के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के हस्ताक्षर		
पदनाम	पूरा नाम		

टीडीएस प्रमाण-पत्र संख्या आंतरिक संदर्भ संख्या है जो कि कटौतीकर्ता द्वारा किया जाना है (वैकल्पिक)

[illegible]

कुल टीडीएस/टीसीएस	
ब्याज	
शासकी	
अन्य	
उपरोक्त रकम का योग	

(ड) प्रारूप 24 के पश्चात निम्नलिखित प्रारूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात :-

प्रारूप सं०	24ग	टीडीएस और टीसीएस अनुपालन विवरण [नियम 31क (1)क देखें]	वित्तीय वर्ष

व्यक्तिगत जानकारी	नाम	टैन	
	प्लॉट/मकान/ब्लॉक सं.	परिसर/भवन/ग्राम का नाम	मुख्यालय या कराधेय हस्ती का पैन
	सड़क/गली/डाकघर	क्षेत्र/अवस्थिति	तिमाही (पहली/दूसरी/तीसरी/चौथी)
	नगर/शहर/जिला	राज्य	पिनकोड
	ई-मेल	एसटीडी कोड फोन नं. ()	
फाइलिंग की प्रस्थिति	टीडीएस निर्धारण अधिकारी का पदनाम (वार्ड/सर्किल)		
	विवरणी मूल है या पुनरीक्षित (निशान लगाएं) ☒ मूल ☐ पुनरीक्षित		
	यदि पुनरीक्षित है तो अभिस्वीकृति सं. और मूल विवरणी की फाइनल करने की तारीख प्रविष्ट करें (दिन/मास/वर्ष)		
	निवासी प्रास्थिति (निशान लगाएं) ☒ निवासी ☐ गैर-निवासी		
	क्यानीचे एससीएच कॉम-1 में विनिर्दिष्ट प्रकृति का कोई संयवहार की प्रकृति करें ☐ हां/अनुसूची कॉम में ब्यौरा प्रविष्ट करें ☐ नहीं (शून्य विवरणी)		

एससीएच कॉम-1	— / — — — मास में टीडीएस अनुपालन का ब्यौरा								
स्रोत पर कटौती या संग्रहीत कर	धारा	संदाय की प्रकृति	धारा के अधीन कुलव्यय या जावक पूंजी	कुल रकम जिसपर (3) के बाहर कटौती या संग्रहीत किए जाने के लिए टीडीएस/टीसीएस का दायी या पात्र था	(4) के बाहर विहित दर वह कुल रकम जिसपर कर की कटौती या संग्रहण किया गया	(5) पर कटौती किए गए या संग्रहीत कर की रकम	कुल रकम जिस पर (4) के बाहर विहित दर से कम कर की कटौती या संग्रहण किया गया	(7) पर काटे गए संग्रहीत कर की रकम	कुल रकम = (6) + (8)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
192	सरकारी कर्मचारियों का वेतन								

	192	गैर सरकारी कर्मचारियों का वेतन							
	193	प्रतिभूतिओं पर ब्याज							
	194	लाभांश							
	194 क	प्रतिभूतिओं पर ब्याज से भिन्न ब्याज							
	194 ख	लॉटरी और वर्ग पहली से जीत							
	194 खख	घुड़दौड़ से जीत							
	194 ग	ठेकेदार और उप-ठेकेदार का संदाय							
	194 घ	बीमा कमीशन							
	194 ङ	गैर निवासी खिलाड़ी/क्रीडा संगम							
	194 ऊ	राष्ट्रीय बचत स्कीम के अधीन निक्षेपों की बाबत संदाय							
	194 च	पारस्परिक निधियां यूटीआई द्वारा यूनिटों के पुनः क्रय के मद्दे संदाय							
	194 छ	लॉटरी टिकट की बिक्री पर कमीशन, इनाम आदि							
	194 ज	कमीशन या दलाली							
	194 झ	किराया							
	194 ञ	वृत्तिक या तकनीकी सेवाओं के लिए फीस							
	194 ट	विनिर्दिष्ट पारस्परिक निधि या यूटीआई की यूनिटों की बाबत निवासी निर्धाररिती को संदेय आय							
	194 ठ	कतिपय स्थावर संपत्ति के अर्जन पर प्रतिकर का संदाय							
	195	किसी गैर निवासी को संदेय अन्य राशि							
	196 क	गैर निवासी की यूनिटों की बाबत आय							

टिप्पण

प्राप्ति, व्यय और पूंजीजावक और तत्स्थानी टीडीएस और टीसीएस रकम का खंड के अनुसार ब्यौरा प्रविष्टि करें स्तंभ 9 में टीडीएस और टीसीएस का योग केन्द्रीय सरकार के खाते में जमा टीडीएस और टीसीएस के अनुसार होना चाहिए।

एससीएच
कॉम-2

मास में टीडीएस अनुपालन का ब्यौरा

स्रोत पर कटौती या संग्रहीत कर	धारा	संदाय की प्रकृति	धारा के अधीन कुलव्यय या जावक पूंजी	कुल रकम जिसपर (3) के बाहर कटौती या संग्रहीत किए जाने के लिए टीडीएस/टीसीएस का दायी या पात्र था	(4) के बाहर विहित दर वह कुल रकम जिसपर कर की कटौती या संग्रहण किया गया	(5) पर कटौती किए गए या संग्रहीत कर की रकम	कुल रकम जिस पर (4) के बाहर विहित दर से कम कर की कटौती या संग्रहण किया गया	(7) पर काटे गए संग्रहीत कर की रकम	कुल रकम = (6) + (8)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	192	सरकारी कर्मचारियों का वेतन							
	192	गैर सरकारी कर्मचारियों का वेतन							
	193	प्रतिभूतिओं पर ब्याज							
	194	लाभांश							
	194 क	प्रतिभूतिओं पर ब्याज से भिन्न ब्याज							
	194 ख	लॉटरी और वर्ग पहली से जीत							
	194 खख	घुड़दौड़ से जीत							
	194 ग	ठेकेदार और उप-ठेकेदार का संदाय							
	194 घ	बीमा कमीशन							
	194 ङ	गैर निवासी खिलाड़ी/क्रीडा संगम							
	194 ङङके	राष्ट्रीय बचत स्कीम के अधीन निक्षेपों की वावत संदाय							

194 च	पारस्परिक निधिया यां यूटीआई द्वारा यूनिटों के पुनः क्रय के मद्दे संदाय							
194 छ	लॉटरी टिकट की बिक्री पर कमीशन, इनाम आदि							
194 ज	कमीशन या दलाली							
194 झ	किराया							
194 ञ	वृत्तिक या तकनीकी सेवाओं के लिए फीस							
194 ट	विनिर्दिष्ट पारस्परिक निधि या यूटीआई की यूनिटों की बाबत निवासी निर्धारिती को संदेय आय							
194 ठ	कतिपय स्थावर संपत्ति के अर्जन पर प्रतिकर का संदाय							
195	किसी गैर निवासी को संदेय अन्य राशि							
196 क	गैर निवासी की यूनिटों की बाबत आय							
196 ख	किसी अपतट निधि की यूनिटों की बाबत संदाय							
196 ग	विदेशी करेंसी बंदपत्र या गैर निवासी को संदेय भारतीय कंपनी के शेयर से आय							
196 घ	प्रतिभूतिओं से विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता से आय							
206 ग	मानव खपत के लिए अल्कोहल युक्त लिकर से स्रोत पर संग्रहण							
206 ग	सनपट्टे के अधीन उपाप्त टिम्बर से स्रोत पर संग्रहण							

206 ग	वनपट्टे से भिन्न किसी अन्य ढंग द्वारा उपाप्त टिंबर से स्रोत पर संग्रहण							
206 ग	किसी अन्य वन उत्पाद (जो तेंदू पत्ते नहीं हैं) से स्रोत पर संग्रहण							
206 ग	स्क्रेप के लिए स्रोत पर संग्रहण							
206 ग	पार्किंग लाट से संबंधित ठेकेदार या अनुज्ञप्तिधारी धारा से स्रोत पर संग्रहण							
206 ग	खान या खदान से संबंधित ठेकेदार या अनुज्ञप्तिधारी या पट्टे से स्रोत पर संग्रहण							
206 ग	तेंदूपत्त से स्रोत पर संग्रहण							
स्रोत पर काटा गया या संग्रहीत कुल कर								
ब्याज								
शास्ति								
अन्य								
कुल योग								
टिप्पण	प्राप्ति, व्यव और पूंजीजावक और तत्स्थानी टीडीएस और टीसीएस रकम कर खंड के अनुसार ब्यौरा प्रविष्टि करें स्तंभ 9 में टीडीएस और टीसीएस का योग केन्द्रीय सरकार के खाते में जमा टीडीएस और टीसीएस के अनुसार होना चाहिए।							

एससीएच कॉम-3		मास में टीडीएस अनुपालन का ब्यौरा							
स्रोत पर कटौती या संग्रहीत कर	धारा	संदाय की प्रकृति	धारा के अधीन कुलव्यय या जावक पूंजी	कुल रकम जिसपर (3) के बाहर कटौती या संग्रहीत किए जाने के लिए टीडीएस/टीसीएस का दायी या पात्र था	(4) के बाहर विहित दर वह कुल रकम जिसपर कर की कटौती या संग्रहण किया गया	(5) पर कटौती किए गए या संग्रहीत कर की रकम	कुल रकम जिस पर (4) के बाहर विहित दर से कम कर की कटौती या संग्रहण किया गया	(7) पर काटे गए संग्रहीत कर की रकम	कुल रकम = (6) + (8)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

192	सरकारी कर्मचारियों का वेतन								
192	गैर सरकारी कर्मचारियों का वेतन								
193	प्रतिभूतिओं पर ब्याज								
194	लाभांश								
194 क	प्रतिभूतिओं पर ब्याज से भिन्न ब्याज								
194 ख	लॉटरी और वर्ग पहिली से जीत								
194 खख	घुड़दौड़ से जीत								
194 ग	ठेकेदार और उप-ठेकेदार का संदाय								
194 घ	बीमा कमीशन								
194 ङ	गैर निवासी खिलाड़ी/क्रीड़ा संगम								
194 ऊ	राष्ट्रीय बचत स्कीम के अधीन निक्षेपों की बाबत संदाय								
194 च	पारस्परिक निधियां या यूटीआई द्वारा यूनितों के पुनः क्रय के मद्दे संदाय								
194 छ	लॉटरी टिकट की बिक्री पर कमीशन, इनाम आदि								
194 ज	कमीशन या दलाली								
194 झ	किराया								
194 ञ	वृत्तिक या तकनीकी सेवाओं के लिए फीस								
194 ट	विनिर्दिष्ट पारस्परिक निधि या यूटीआई की यूनितों की बाबत निवासी निर्धारिती को संदेय आय								
194 ठ	कतिपय स्थावर संपत्ति के अर्जन पर प्रतिकर का संदाय								

एससीएच वेतन	स्रोत पर काटे गए या संग्रहीत किए गए कर का ब्योरा		
	क्रम सं०	चालान पहचान सं० (सी.आई.एन.)	रकम

(च) प्रसूय 24थ में, उपाबंध 1 के स्थान पर निम्नलिखित उपाबंध 1 रखा जाएगा, अर्थात् :—

उपाबंध 1

टीडीएस का कटौतीधारी-वारं ब्यौरा

(कृपया मुख्य प्रश्न 24क्ष की क्र०सं० 4 पर तालिका में पंक्ति - मद के लिए पृथक् उपाग्रह का उपयोग करें)

कर्मचारियों को दिए गए वेतन और उस पर कटौती किए गए कर का विवरण

साखा का बीएसआर कोड जहाँ कर जमा किया गया	नियोजक का नाम
सारीख जिसको कर जमा किया गया	
(तारीख: ____ माह ____ वर्ष)	
वास्तुन क्रम सं०	
वारा जिसके अधीन संदाय किया गया	टीएन
स्लॉ 323 के सम्बन्धत योग के अनुसार कटौतीधारियों के बीच आवंटन किया जाने वाला कुल टीडीएस	
व्याज	
अन्य	
रुपयुक्त का योग	

[illegible]

सत्यापन

मैं, प्रमाणित करता हूँ कि उमर दी गई सभी विशिष्टियाँ सही और पूर्ण हैं।

स्थान :
तारीख :

स्रोत पर कर कटौती के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के हस्ताक्षर.....
 स्रोत पर कर कटौती के लिए उत्तरदायी व्यक्ति का नाम और पदनाम.....

टिप्पण.—

* धारा 197 के अधीन प्रमाणपत्र के मद्दे यदि “कम कटौती हो” तो “क” लिखें या कोई “कटौती न हो” तो “ख” लिखें

(ज) प्ररूप सं० 27घ, के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप रखे जाएंगे, अर्थात् :--

प्ररूप सं. 27घ
[नियम 37घ देखिए]

स्रोत पर संग्रहीत किए गए कर के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 203 के अधीन प्रमाण-पत्र			
वित्तीय वर्ष		टीसीएस प्रमाणपत्र संख्या#	
क्या मूल/दूसरी प्रति/संशोधित है	यदि संशोधित है तो पूर्व टीसीएस प्रमाण-पत्र संख्या दें		
संग्रहकर्ता का टैन		संग्रहकर्ता का नाम	
खरीददार या लाइसेंस सुदा या पट्टेदार या जिसको निविदा दी गयी है का स्थाई लेखा संख्या		खरीददार या लाइसेंस सुदा या पट्टेदार या जिसको निविदा दी गयी है का नाम	
आयकर विभाग द्वारा यथारूप से उपलब्ध कराया गया टीसीएस यूनीक ट्रांजेक्शन नंबर (यूटीएन)	क्या अपलोड किया गया पैन आयकर विभाग द्वारा विधिमाम्य था (हां/नहीं)	संदत्त सकल रकम	टीसीएस रकम
टीसीएस की कुल रकम			
कुल टीसीएस रकम जहां आयकर विभाग द्वारा पैन विधिमाम्य पाया गया है			
मैं पुत्र/पुत्री जो (पदनाम) की हैसियत में कार्य कर रहा/रही हूँ, यह प्रमाणित करता/करती हूँ कि रुपए [केवल (शब्दों में रुपए)] की राशि स्रोत पर संग्रहीत की गई है और केंद्रीय सरकार के खाते में संदत्त की गई है। मैं, यह और प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपरोक्त दी गयी जानकारी लेखा पुस्तकों, दस्तावेजों और अन्य उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर सही और ठीक हैं।			
स्थान			
तारीख	कर संग्रह के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के हस्ताक्षर		
पदनाम	पूरा नाम		

टीसीएस प्रमाण-पत्र संख्या आंतरिक संदर्भ संख्या है जो कि कटौतीकर्ता द्वारा किया जाना है (वैकल्पिक)

[illegible]

सत्यापन

मैं, प्रमाणित करता हूँ कि ऊपर दी गई सभी विशिष्टियाँ सही और पूर्ण हैं।

स्थान :

स्रोत पर कर संग्रह करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के हस्ताक्षर.....

तारीख :

स्रोत पर कर संग्रह के लिए उत्तरदायी व्यक्ति का नाम और पदनाम.....

टिप्पण.—

1. कृषया मानव उपभोग के लिए एल्कोहलिक मदिरा के लिए संग्रह कोड क किसी वन पट्टे के अधीन प्राप्त की गई इमारती लकड़ी के लिए कोड ख, वन पट्टे के अतिरिक्त किसी अन्य विधि द्वारा प्राप्त की गई इमारती लकड़ी के लिए कोड ग, किसी अन्य का उत्पाद जो इमारती लकड़ी या तेन्दू पत्ता नहीं है, के लिए कोड घ, स्क्रैप के लिए कोड ङ, पार्किंग लॉट के लिए कोड च, टोल प्लाजा के लिए कोड छ, खनन और खदान क्रिया के लिए कोड ज लिखें।
2. धारा 206(9) के अनुसार “कम जमा” के लिए “क” लिखें, किसी अन्य कारण के लिए “ख” लिखें, पृथक् सीट में विवरण दें।

[अधिसूचना सं. 31/2009/फा. सं. 142/22/2008—टीपीएल]

विजय कुमार जायसवाल, अवर सचिव

टिप्पण :—मूल नियम अधिसूचना सं. का.आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए तथा अंतिम बार अधिसूचना सं. का.आ. 740(अ), तारीख 16-03-2009 द्वारा आयकर (छठवाँ संशोधन) नियम, 2009 द्वारा संशोधन किया गया।